

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचकों के लिये ईवीएम ब्रोशर



इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम): ईवीएम, कंट्रोल यूनिट (सी यू) और बैलट यूनिट (बी यू) जिससे कंट्रोल यूनिट को जोड़ने के लिए एक केबल होता है, से मिलकर बनी होती है। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है और बैलट यूनिट को मतदाताओं द्वारा मतदान करने के लिए वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखा जाता है। ईवीएम 7.5 वोल्ट के पावर पैक (बैटरी) से चलती है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के प्रयोग द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया:

- आपकी पहचान हो जाने और अमिट स्याही लगाए जाने के बाद आपको अपनी क्रम संख्या प्रदर्शित करने वाली मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई स्लिप के साथ पीठासीन अधिकारी/ईवीएम के प्रभारी मतदान अधिकारी के पास जाना होता है।

- आपको उन्हें अपना अमिट निशान दिखाना होता है और ऊपर उल्लिखित स्लिप भी उनको सौंपनी होती है।
- तदुपरांत, पीठासीन अधिकारी/ईवीएम के प्रभारी मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट की 'बैलट की' को दबा कर मतपत्र (बैलट) को समर्थ करके आपको अपना मत डालने की अनुमति देंगे।
- उसके बाद, आप अपने विकल्प के अभ्यर्थी/प्रतीक के नाम के सामने बैलट यूनिट पर नीले बटन को दबाकर अपना मत डालेंगे। आपने जिस अभ्यर्थी/प्रतीक को अपना मत दिया है उसके नाम के सामने एक लाल एलईडी चमकता है और एक जोरदार बीप ध्वनि सुनाई देती है।
- एलईडी का चमकना बंद होने के बाद आप मतदान कक्ष से जा सकते हैं।

आपके मूल्यकवान मत के लिए धन्यवाद

मजबूत लोकतंत्र—सबकी भागीदारी

Election Commission of India

EVM Brochure for Electors



Electronic Voting Machine (EVM): EVM consists of Control Unit (CU) and Ballot Unit (BU) with cable for connecting it with the Control Unit. Control Unit is kept with the Presiding Officer/Polling Officer and Ballot Unit is kept in the voting compartment for polling by voters. EVM runs on a power pack (Battery) of 7.5 volts.

Process of voting using Electronic Voting Machine (EVM):

- After your identification and application of Indelible Ink, you have to proceed to the Presiding Officer/Polling Officer-in-charge of EVM with a slip issued by polling officer showing your Sl. No.
- You have to show your indelible ink mark to him and also handover the above-mentioned slip to him.
- Then Presiding Officer/Polling Officer-in-charge of EVM will permit you to cast your vote by enabling the Ballot, by pressing ballot key of the Control Unit.
- You then cast your vote by pressing the Blue Button on the Ballot Unit against the name of candidate/symbol of your choice. A red LED glows against the name of candidate/symbol for whom you cast your vote and a loud beep sound is heard.
- After LED glows off, you can leave the voting compartment.

Thanks for your valuable vote.

Greater Participation for a Stronger Democracy

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचकों के लिये वीवीपीएटी युक्त ईवीएम ब्रोशर



इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम): ईवीएम, कंट्रोल यूनिट (सी यू) और केबलयुक्त बैलट यूनिट (बीयू) से मिलकर बनी होती है। ईवीएम 7.5 वोल्ट के पावर पैक (बैटरी) से चालित होती है।

मतदाता वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी): वीवीपीएटी एक प्रिंटर और एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) से मिलकर बना होता है। वीवीपीएटी 15 वोल्ट के पावर पैक (बैटरी) से चलता है।

कंट्रोल यूनिट और वीएसडीयू को पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है और बैलट यूनिट एवं प्रिंटर वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखे जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के प्रयोग द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया:

- आपकी पहचान हो जाने और अमिट स्याही लगाए जाने के बाद आपको अपनी क्रम संख्या प्रदर्शित करने वाली मतदान

अधिकारी द्वारा जारी की गई स्लिप के साथ पीठासीन अधिकारी/ईवीएम के प्रभारी मतदान अधिकारी के पास जाना होता है।

- आपको उन्हें अपना अमिट निशान दिखाना होता है और ऊपर उल्लिखित स्लिप भी उनको सौंपनी होती है।
- तदुपरांत, पीठासीन अधिकारी/ईवीएम के प्रभारी मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट की 'बैलट की' को दबा कर मतपत्र (बैलट) को समर्थ करके आपको अपना मत डालने की अनुमति देंगे।
- उसके बाद, आप अपने विकल्प के अभ्यर्थी/प्रतीक के नाम के सामने नीले बटन को दबाकर अपना मत डालेंगे। आपने जिस अभ्यर्थी/प्रतीक को अपना मत दिया है उसके नाम के सामने एक लाल एलईडी चमकता है और साथ ही प्रिंटर एक बैलेट स्लिप प्रिंट करता है जिस पर उस अभ्यर्थी जिसे आपने वोट डाला है, की क्रम संख्या, नाम और प्रतीक मौजूद होता है।
- सात सैकेन्ड के बाद प्रिंटर का कटर प्रिंटेड पेपर स्लिप काट देता है और यह वीवीपीएटी के ड्राप बक्से में इसे डाल देता है और एक जोरदार बीप ध्वनि सुनाई देती है।
- अब आप मतदान कक्ष से जा सकते हैं।

आपके मूल्यवान मत के लिए धन्यवाद।

विस्तृत जानकारी/वीडियो के लिए www.eci.nic.in पर क्लिक करें

मजबूत लोकतंत्र—सबकी भागीदारी

Election Commission of India

EVM with VVPAT- Brochure for Electors



Electronic Voting Machine (EVM): EVM consists of Control Unit (CU) and Ballot Unit (BU) with cable. EVM runs on a power pack (Battery) of 7.5 volts.

Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT): VVPAT consists of a Printer and a VVPAT Status Display Unit (VSDU). VVPAT runs on a power pack (Battery) of 15 volts.

Control Unit and VSDU are kept with the Presiding Officer/Polling Officer and Ballot Unit and Printer are kept in the voting compartment.

Process of voting using Electronic Voting Machine (EVM):

- After your identification and application of Indelible Ink, you have to proceed to the Presiding

- Officer/Polling Officer-in-charge of EVM with a slip issued by polling officer showing your Sl. No.
- You have to show your indelible ink mark to him and also handover the above-mentioned slip to him.
- Then Presiding Officer/Polling Officer-in-charge of EVM will permit you to cast your vote by enabling the Ballot, by pressing ballot key of the Control Unit.
- You then cast your vote by pressing the Blue Button on the Ballot Unit against the name of candidate/symbol of your choice. A red LED glows against the name of candidate/symbol for whom you cast your vote and simultaneously Printer prints a ballot slip containing Serial Number, name and symbol of the Candidate for whom you cast your vote.
- After 7 seconds cutter of the printer cut the printed paper slip and it drops in the drop box of the VVPAT and a loud beep sound is heard.
- Now, you can leave the voting compartment.

Thanks for your valuable vote.

For more detailed information/video click - www.eci.nic.in

Greater Participation for a Stronger Democracy

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचकों के लिये ईवीएम ब्रोशर



इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम): ईवीएम, कंट्रोल यूनिट (सी यू) और बैलेट यूनिट (बी यू) जिससे कंट्रोल यूनिट को जोड़ने के लिए एक केबल होता है, से मिलकर बनी होती है। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है और बैलेट यूनिट को मतदाताओं द्वारा मतदान करने के लिए वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखा जाता है। ईवीएम 7.5 वोल्ट के पावर पैक (बैटरी) से चलती है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के प्रयोग द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया:

- आपकी पहचान हो जाने और अमिट स्याही लगाए जाने के बाद आपको अपनी क्रम संख्या प्रदर्शित करने वाली मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई स्लिप के साथ पीठासीन अधिकारी/ईवीएम के प्रभारी मतदान अधिकारी के पास जाना होता है।

- आपको उन्हें अपना अमिट निशान दिखाना होता है और ऊपर उल्लिखित स्लिप भी उनको सौंपनी होती है।
- तदुपरांत, पीठासीन अधिकारी/ईवीएम के प्रभारी मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट की 'बैलेट की' को दबा कर मतपत्र (बैलेट) को समर्थ करके आपको अपना मत डालने की अनुमति देंगे।
- उसके बाद, आप अपने विकल्प के अभ्यर्थी/प्रतीक के नाम के सामने बैलेट यूनिट पर नीले बटन को दबाकर अपना मत डालेंगे। आपने जिस अभ्यर्थी/प्रतीक को अपना मत दिया है उसके नाम के सामने एक लाल एलईडी चमकता है और एक जोरदार बीप ध्वनि सुनाई देती है।
- एलईडी का चमकना बंद होने के बाद आप मतदान कक्ष से जा सकते हैं।

आपके मूल्यकवान मत के लिए धन्यवाद

मजबूत लोकतंत्र—सबकी भागीदारी

Election Commission of India

EVM Brochure for Electors



Electronic Voting Machine (EVM): EVM consists of Control Unit (CU) and Ballot Unit (BU) with cable for connecting it with the Control Unit. Control Unit is kept with the Presiding Officer/Polling Officer and Ballot Unit is kept in the voting compartment for polling by voters. EVM runs on a power pack (Battery) of 7.5 volts.

Process of voting using Electronic Voting Machine (EVM):

- After your identification and application of Indelible Ink, you have to proceed to the Presiding Officer/Polling Officer-in-charge of EVM with a slip issued by polling officer showing your Sl. No.

- You have to show your indelible ink mark to him and also handover the above-mentioned slip to him.
- Then Presiding Officer/Polling Officer-in-charge of EVM will permit you to cast your vote by enabling the Ballot, by pressing ballot key of the Control Unit.
- You then cast your vote by pressing the Blue Button on the Ballot Unit against the name of candidate/symbol of your choice. A red LED glows against the name of candidate/symbol for whom you cast your vote and a loud beep sound is heard.
- After LED glows off, you can leave the voting compartment.

Thanks for your valuable vote.

Greater Participation for a Stronger Democracy

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचकों के लिये वीवीपीएटी युक्त ईवीएम ब्रोशर



इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम): ईवीएम, कंट्रोल यूनिट (सी यू) और केबलयुक्त बैलट यूनिट (बीयू) से मिलकर बनी होती है। ईवीएम 7.5 वोल्ट के पावर पैक (बैटरी) से चालित होती है।

मतदाता वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी): वीवीपीएटी एक प्रिंटर और एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) से मिलकर बना होता है। वीवीपीएटी 15 वोल्ट के पावर पैक (बैटरी) से चलता है।

कंट्रोल यूनिट और वीएसडीयू को पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है और बैलट यूनिट एवं प्रिंटर वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखे जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के प्रयोग द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया:

- आपकी पहचान हो जाने और अमिट स्याही लगाए जाने के बाद आपको अपनी क्रम संख्या प्रदर्शित करने वाली मतदान

- अधिकारी द्वारा जारी की गई स्लिप के साथ पीठासीन अधिकारी ईवीएम के प्रभारी मतदान अधिकारी के पास जाना होता है।
- आपको उन्हें अपना अमिट निशान दिखाना होता है और ऊपर उल्लिखित स्लिप भी उनको सौंपनी होती है।
- तदुपरांत, पीठासीन अधिकारी/ईवीएम के प्रभारी मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट की 'बैलट की' को दबा कर मतपत्र (बैलट) को समर्थ करके आपको अपना मत डालने की अनुमति देंगे।
- उसके बाद, आप अपने विकल्प के अभ्यर्थी/प्रतीक के नाम के सामने नीले बटन को दबाकर अपना मत डालेंगे। आपने जिस अभ्यर्थी/प्रतीक को अपना मत दिया है उसके नाम के सामने एक लाल एलईडी चमकता है और साथ ही प्रिंटर एक बैलेट स्लिप प्रिंट करता है जिस पर उस अभ्यर्थी जिसे आपने वोट डाला है, की क्रम संख्या, नाम और प्रतीक मौजूद होता है।
- सात सैकेन्ड के बाद प्रिंटर का कटर प्रिंटेड पेपर स्लिप काट देता है और यह वीवीपीएटी के ड्राप बक्से में इसे डाल देता है और एक जोरदार बीप ध्वनि सुनाई देती है।
- अब आप मतदान कक्ष से जा सकते हैं।

आपके मूल्यवान मत के लिए धन्यवाद।

विस्तृत जानकारी/वीडियो के लिए www.eci.nic.in पर क्लिक करें

मजबूत लोकतंत्र—सबकी भागीदारी

Election Commission of India

EVM with VVPAT- Brochure for Electors



Electronic Voting Machine (EVM): EVM consists of Control Unit (CU) and Ballot Unit (BU) with cable. EVM runs on a power pack (Battery) of 7.5 volts.

Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT): VVPAT consists of a Printer and a VVPAT Status Display Unit (VSDU). VVPAT runs on a power pack (Battery) of 15 volts.

Control Unit and VSDU are kept with the Presiding Officer/Polling Officer and Ballot Unit and Printer are kept in the voting compartment.

Process of voting using Electronic Voting Machine (EVM):

- After your identification and application of Indelible Ink, you have to proceed to the Presiding

- Officer/Polling Officer-in-charge of EVM with a slip issued by polling officer showing your Sl. No.
- You have to show your indelible ink mark to him and also handover the above-mentioned slip to him.
- Then Presiding Officer/Polling Officer-in-charge of EVM will permit you to cast your vote by enabling the Ballot, by pressing ballot key of the Control Unit.
- You then cast your vote by pressing the Blue Button on the Ballot Unit against the name of candidate/symbol of your choice. A red LED glows against the name of candidate/symbol for whom you cast your vote and simultaneously Printer prints a ballot slip containing Serial Number, name and symbol of the Candidate for whom you cast your vote.
- After 7 seconds cutter of the printer cut the printed paper slip and it drops in the drop box of the VVPAT and a loud beep sound is heard.
- Now, you can leave the voting compartment.

Thanks for your valuable vote.

For more detailed information/video click - www.eci.nic.in

Greater Participation for a Stronger Democracy